अध्याय III : थलसेना

3.1 रासायनिक,जैविक,रेडियोधर्मी और परमाणु (सी बी आर एन) उपकरणों की अधिप्राप्ति में ₹ 88.39 करोड़ का निरर्थक व्यय

रासायनिक,जैविक,रेडियोधर्मी और परमाणु उपकरणों से संबंधित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के तहत आनेवाली मदों की अधिप्राप्ति के लिए विवेकहीन नियोजन के परिणामस्वरूप एन बी सी सूट परमिएबल,जो आई पी ई का मुख्य घटक है, की अधिप्राप्ति नहीं हुई। एन बी सी सूट परमिएबल के बिना आई पी ई की अन्य आठ मदों पर ₹ 88.39 करोड़ का व्यय किया गया, जिसने एन बी सी युद्ध की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।

रासायनिक,जैविक,रेडियोधर्मी और परमाणु (सी बी आर एन) उपकरणों में ऐसी मदें होती हैं, जो रासायनिक,जैविक,रेडियोधर्मी, परमाणु एजेंटों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (आई पी ई) शामिल हैं, जो सी बी आर एन एजेंटों में शामिल होनेवाले किसी आतंकवादी खतरे/हमले से आपातकालीन प्रतिक्रिया सहित परमाणु,जैविक और रासायनिक (एन बी सी) युद्ध/सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यू एम डी) के खतरे अथवा उसके शुरू होने की स्थिति में व्यक्ति को पूर्ण सी बी आर एन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राणरक्षा उपकरण हैं। सी बी आर एन युद्ध सुरक्षा उपकरणों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारतीय थलसेना के विभिन्न फार्मेशनों/इकाइयों को तैंतालीस मदें प्राधिकृत की गई हैं, जिनमे से नौ मदें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (आई पी ई) हैं। नौ मदों में से आठ का शेल्फ जीवन पांच वर्षो का है और त्रि कलर डिटेक्टर पेपर (टी सी डी पी) नामक एक मद का शेल्फ जीवन मात्र दो वर्ष है। व्यक्ति को पूर्ण एवं प्रभावी सी बी आर एन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक सेट के रूप में इन सभी नौ मदों की तत्काल उपलब्धता अनिवार्य थी। तथापि, हमने मार्च 2013 में देखा कि ए एच क्यू[29] ने आई पी ई की सभी नौ मदों की एक साथ अधिप्राप्ति नहीं की और इसलिए पूर्ण सी बी आर एन सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए सैन्यदल को पूर्ण सेट उपलब्ध नहीं करा सका। ये मदें 2008 और 2013 के बीच खंडशः अधिप्राप्त की गई थीं, जिससे इस प्रयोजन हेतु किए गए ₹ 88.39 करोड़ के व्यय के बावजूद भी प्रभावी सी बी आर एन सुरक्षा से वंचित होना पड़ा। इस मामले की चर्चा नीचे की गई है:

ए एच क्यू ने आई पी ई की अधिप्राप्ति हेतु 2008 से 2014 की अवधि के दौरान ट्रेड[30] पर ₹ 120.46 करोड़ के आपूर्ति आदेश दिए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एन बी सी सूट की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना ही ए एच क्यू ने जुलाई 2008 से अगस्त 2013 के बीच आई पी ई की अन्य आठ मदों की अधिप्राप्ति की और इस पर ₹ 88.39 करोड़ का कुल व्यय किया। इनमें से टी सी डी पी को छोड़कर सभी आई पी ई मदों के लिए पांच वर्ष का सीमित शेल्फ जीवन है।

एन बीसी सूट परमिएबल आई पी ई की मुख्य मद थी, जिसके बिना आई पी ई प्रभावहीन होता है। एन बी सी सूट परमिएबल की अधिप्राप्ति के लिए ए एच क्यू ने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी) को दो मांगपत्र, मार्च 2007 में 5348 संख्या हेतु और जून 2008 में 30,380 संख्या हेतु दिए। तथापि ओ एफ बी इन मांगपत्रों के प्रति आपूर्ति नहीं कर सका तथा सितंबर 2011 में ट्रेड से इन मदों की अधिप्राप्ति करने हेतु दूसरे मांगपत्र के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र'को जारी कर दिया। तदनुसार, ए एच क्यू ने ₹ 34.41 करोड़ की लागत पर 30,380 सूटों के लिए जुलाई 2013 में मेसर्स श्री लक्ष्मी कोटसिन लिमिटेड को आपूर्ति आदेश दिया। ए एच क्यू द्वारा अग्रिम नमूने के अनुमोदन तथा थोक

[29] थलसेना मुख्यालय
[30] निजी क्षेत्र कंपनियां

आदेशों की अनुमति के पश्चात सात महीने के अदंर अथवा उससे पहले 30,380 सूटों की संपूर्ण मात्रा की आपूर्ति की जानी थी। तथापि, फर्म ने जुलाई 2014 में अग्रिम नमूना, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक को दिया जिसका अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित है। इसप्रकार, एन बी सी सूट परमिएबल की उपलब्धता अभी तक प्रतीक्षित थी (अगस्त 2014)। एन बी सी सूट के बिना आई पी ई की अन्य आठ मदों की अधिप्राप्ति के प्रयोक्ताओं द्वारा इन भंडारों के प्रभावकारी उपयोग पर संदेह उत्पन्न होता है।

मार्च 2013 में, लेखापरीक्षा द्वारा आई पी ई मदों के प्राधिकरण के अनुसार,विशेषकर उनके सीमित शेल्फ जीवन की दृष्टि सभी नौ आई पी ई मदों की गैर-अधिप्राप्ति का मामला एम ओ डी[31] (थलसेना) के आई एच क्यू के साथ उठाया गया तथा आई पी ई के अंतर्गत समवर्ती रूप में सभी नौ मदों की गैर-अधिप्राप्ति पर उनके विचार मांगे। आई एच क्यू ने अपने उत्तर में (जुलाई 2014) अधिप्राप्ति में गैर-अनुकूलता के लेखापरीक्षा मत को स्वीकार किया और कहा कि अधिप्राप्ति की वर्तमान प्रणाली डी पी एम 2009 द्वारा निर्देशित है, जिसमें आई पी ई की सभी पृथक मदों के लिए निविदा पूछताछ (टी ई)/प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर एफ पी) जारी किया गया और विभिन्न मदों के लिए अलग-अलग सुपुर्दगी अवधि के साथ विभिन्न विक्रेताओं को संविदा प्रदान की गई। यह एक ही समय सभी आई पी ई मदों की अनुपलब्धता का कारण बना। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है,क्योंकि एन बी सी सूट परमिएबल हेतु आदेश बहुत पहले मार्च 2007 में दिया गया था,जो फलीभूत नहीं हो सका तथा एन बी सी सूट परमिएबल की उपलब्धता के बिना अन्य मदों की अधिप्राप्ति का कोई औचित्य नहीं है। आगे, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए अनुकूलता मुद्दो का सामना करने हेतु ए एच क्यू ने डी पी एम 2009 के प्रावधानों का जो उल्लेख किया, वह केवल बाद में उठा विचार था क्योंकि दो मदों के लिए आपूर्ति आदेश ट्रेड को खंडशः दिए गए (जुलाई 2008 और सितंबर 2008) जो यह बताता है कि डी पी एम 2009 के भी लागू होने से पूर्व अनुकूलता मुद्दो को हल नहीं किया गया था।

इस मामले ने उजागर किया कि एम ओ डी के आई एच क्यू ने एन बी सी सूट परमिएबल की तुल्यकालिक खरीद को सुनिश्चित किए बिना ही आई पी ई की आठ मदों की अधिप्राप्ति पर ₹88.39 करोड़ का व्यय किया। अतः एन बी सी युद्ध की स्थिति में व्यक्तियों की संरक्षा एवं सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है।

जुलाई 2014 में यह मामला मंत्रालय को भेजा गया था, उनका जवाब प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2014)।

3.2 वैधता अवधि के भीतर चाय की अधिप्राप्ति के लिए निविदा स्वीकार करने की विफलता के कारण ₹ 2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

निविदाओं की वैधता अवधि के भीतर 1700 मीट्रिक टन चाय की अधिप्राप्ति के लिए निविदा स्वीकार करने की निर्धारित प्रक्रिया और समय सीमा का पालन करने के लिए सेना क्रय संगठन और एकीकृत वित्तीय सलाहकार की विफलता से ₹ 2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

रक्षा मत्रांलय में सेना क्रय सगंठन (ए पी ओ), सेना सेवा कोर के माध्यम से सशस्त्र सेनाओं के लिए केन्द्रीय रूप से ड्राई राशन मदों की अधिप्राप्ति के लिए जिम्मेदार है। ए पी ओ के ठेके आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डी जी एस एण्ड डी) के आपूर्ति, निरीक्षण और निपटान के लिए कार्यालय प्रक्रिया की नियमावली से संचालित होते हैं। डी जी एस एण्ड डी नियमावली सीमित निविदा पूछताछ के प्रति बोली लगाने के लिए पूर्ण 21पूर्ण दिनों की अवधि का दिया जाना निर्दिष्ट करती है और निविदाकारों को निविदा खोलने की तिथि के बाद एक महीने तक अपना प्रस्ताव खुला रखना जरूरी होता है।

[31] रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय

खपत वर्ष 2011-12 के लिए 1700 मीट्रिक टन(एम टी) चाय की अधिप्राप्ति के लिए ए पी ओ ने 19 जनवरी 2011 तक निविदा की वैधता अवधि के साथ 3 दिसम्बर 2010 को निविदा पूछताछ जारी की। निविदा क्रय समिति (टी पी सी) की बैठक 20 दिसम्बर 2010 को आयोजित की गई जिसमें तीन सबसे कम बोली लगानेवाले फर्मों से ₹15.50 करोड़ की कुल लागत पर 1700 एम टी चाय की अधिप्राप्ति की सिफारिश की गई। 1700 एम टी चाय की अधिप्राप्ति का मामला 5 जनवरी 2011 को रक्षा (वित्त) के पास सहमति के लिए भेज दिया गया।

रक्षा (वित्त) ने 1 फरवरी और 09 फरवरी 2011 में कहा कि टी पी सी के कार्यवृत्त में विशेष रूप से यह संकेत नही है कि किस प्रकार अंतिम क्रय मूल्य या निर्धारित दर के साथ इन दरों की तुलना की गई थी और ऐसा नहीं लगता कि टी पी सी ने उचित विश्लेषण किया है। उत्तर में ए पी ओ ने 3 फरवरी 2011 में रक्षा (वित्त) को सूचित किया कि निम्नतम दरों की अतिंम क्रय मूल्य और थोक मूल्य सूचकांक के साथ तुलना की गई थी और उचित पाई गई थी। अंत में, रक्षा (वित्त) ने 10 मार्च 2011 को, निविदा खुलने के 80 दिनों[32] के बाद, भविष्य में बैठकों के कार्यवृत्त में विस्तृत औचित्य प्रतिपादन को शामिल करने की सलाह के साथ, अधिप्राप्ति हेतु सहमति प्रदान की। 22 मार्च 2011 तक निविदा की वैधता बढ़ाने के लिए फर्मों के साथ संपर्क किया गया। सभी तीनों फर्मों ने अपने प्रस्ताव की वैधता को बढ़ाने से मना कर दिया और अनुबंध नहीं किया जा सका। मार्च 2011 में सी एफ ए ने 1700 एम टी चाय की पूरी मात्रा के लिए पुर्ननिविदा करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

ए पी ओ ने पुनः मार्च 2011 में 1700 एम टी चाय की अधिप्राप्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की जिसमें निविदाओं की वैधता 2 मई 2011 तक थी। टी पी सी की बैठक 31 मार्च 2011में हुई जिसमें ₹ 17.83 करोड़ की कुल लागत से 1700 एम टी चाय की अधिप्राप्ति की सिफारिश की गई। तदनुसार, ए पी ओ ने तीन निम्नतम बोली लगनेवाले फर्मों की निविदाओं को ₹ 17.83 करोड़ की कुल लागत पर स्वीकार कर लिया। यद्यपि 1700 एमटी चाय का मूल्य पहली बोली से लगभग 15 प्रतिशत अधिक था, टी पी सी ने दर्ज किया कि न्यूनतम बोली लगानेवाले फर्मों द्वारा लगाई गई दरें 20 दिसम्बर 2010 में आयोजित टी पी सी की बैठक में पहले लगाई गई दरों की तुलना में थोड़ी अधिक थी। लागत में वृद्धि का कारण पैंकिग सामग्री में बदलाव और डीजल की कीमत में वृद्धि बताया गया था। लेकिन मार्च 2011 और दिसम्बर 2010 की टी पी सी में उल्लिखित पैकिंग सामग्री का विवरण समान था। इसलिए पैकिंग सामग्री में परिर्वतन के कारण लागत में वृद्धि के बारे में टी पी सी का कथन तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था। रक्षा (वित्त) ने यह कारण स्वीकार कर लिया और 25 अप्रैल 2011 में इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी। अंत में, ए पी ओ ने 18 मई 2011 में ₹ 17.83 करोड़ की कुल लागत पर फर्मों को निविदा की स्वीकृति जारी कर दी, जो कि पहली बोली से ₹ 2.33 करोड़[33] अधिक थी।

हमने बताया (नवम्बर 2012) कि निविदा प्रक्रिया की निर्धारित समय सीमा का पालन न करने के परिणास्वरूप ₹ 2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। उत्तर में ए पी ओ ने कहा कि कार्यविधिक प्रक्रिया के कारण यह विलंब हुआ। निविदा खोलने की तिथि से एक महीने की रखी गईं निर्धारित समय सीमा के प्रति एपीओ ने निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए 80 दिन लिए। इससे बोली की वैधता अवधि समाप्त हो गई। पुर्ननिविदा कार्यवाही के कारण दरों में वृद्धि हुई तथा ₹ 2.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा का पालन किया गया होता तो इससे बचा जा सकता था।

यह मामला मई 2014 मे मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2014)।

---

[32] 20 दिसम्बर 2010 से 10 मार्च 2011

[33] ₹ 17.83 करोड़ (दूसरी बोली) ₹ 15.50 करोड़ (पहली बोली)

3.3 फील्ड फायरिंग रेंज से धातु स्क्रैप के संचयन न करने के कारण राजस्व की हानि।

वर्ष 2008-09 के दौरान फील्ड फायरिंग रेंज के द्वारा गोलाबारी किये गये गोलाबारूद के धातु स्क्रैप को संचयन करने के लिए संविदा नही कि जा सकी। किराये के सिविल श्रम के माध्यम से इसके संग्रह करने के लिए सैनिक प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप अन्ततः ₹ 1.92 करोड राजस्व का नुकसान हुआ।

सेना मुख्यालय के जनरल स्टाफ ब्राँच, के महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षिण ने फील्ड फायरिंग रेंज (एफ. एफ. आर.) से गोलाबारी किये गये गोलाबारूद के धातु स्क्रैप के संविदा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में जुलाई 1995 मे प्रशासनिक अनुदेश जारी किये थे। अनुदेशो के साथ साथ ये भी उल्लेखित था कि यदि किसी अपरिहार्य कारणों से समय पर संविदा नही होती है तो सम्बन्धित स्टेशन मुख्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्रैप धातु का किराये पर सिविल श्रम के माध्यम से संचयन किया जाए तथा स्क्रैप को आयुध भण्डार में जमा किया जाए या संग्रह स्थल पर ही नीलामी की जाए। पुनः जून 2002 में रक्षा मंत्रालय ने एफ.एफ.आर में धातु स्क्रैप की संविदाए हेतु आरक्षित निर्देशक मूल्य (आर.जी.पी.) के निर्धारण हेतु अनुदेश जारी किये। आर.जी.पी. की गणना के लिए संग्रहणीय धातु स्क्रैप की मात्रा तथा स्थानीय बाजार में संग्रहणीय धातु का प्रचलित मूल्य जैसे दो मानदण्ड निर्धारित किये गये थे।

तदर्थ[34] स्टेशन मुख्यालय, पोखरण ने 16 नवम्बर 2008 से 30 सितम्बर 2009 की अवधि के लिए ₹ 2.32 करोड़ की आर.जी.पी. के साथ एफ. एफ. आर. पोखरण से गोलाबारी से प्राप्त गोलाबारूद के 285 मीट्रिक टन (लगभग) धातु स्क्रैप के निपटान एवं सचंयन के लिये अगस्त 2008 में निविदाएं आमन्त्रित की। तथापि संविदा नही हो सकी क्योंकि उच्चतम बोलीकर्ता ने संविदा विलेख पर हस्ताक्षर करने से पहले कुल बोली राशि ₹ 5.59 करोड़ जमा नही की और उसकी ₹ 0.05 करोड़ जमा ब्यानाराशि (ई.एम.डी.) जब्त कर ली गई । स्टेशन प्राधिकारियों ने दो बार निविदाएं आमत्रित की परन्तु बोलीकर्ताओं ने संविदा विलेख पर हस्ताक्षर करने से पहले दूसरी एवं तीसरी निविदा कॉल में भी जो क्रमशः जनवरी 2009 एवं मई 2009 में की गई थी आवश्यक राशि ₹ 2.59 करोड़ एवं ₹ 0.70 करोड़ की राशि जमा नही की जिसके कारण नियमित संविदा नहीं हुई और परिणामस्वरूप ₹ 0.35 करोड़[35] की जमा ब्यानाराशि जब्त कर ली गई।

जनवरी 2009 तक सम्पन्न दूसरी कॉल तक, दो महीने[36] की सचंयन अवधि[37] समाप्त हो चुकी थी और सविंदा नही हो सकी थी। सेना मुख्यालय (जुलाई 1995) के इस अनुदेश के बावजूद कि स्क्रैप के सचंयन हेतु नियमित संविदा अन्तिम रूप से न होने पर किराये के सिविल श्रम के माध्यम से धातु स्क्रैप का संचयन करना था, तदर्थ स्टेशन मुख्यालय पोखरण किराये की सिविल श्रम के माध्यम से जनवरी 2009 में धातु स्क्रैप का सचंयन नही कर सका परन्तु तीसरी कॉल के लिए कार्यवाही आरम्भ की जो दूसरी कॉल से चार महीने के उपरान्त मई 2009 में निविदा कॉल खोली गई। इन तीन निविदा कॉलों के दौरान उच्चतम बोली में घटती प्रवृति दिखाई दी क्योंकि सचंयन अवधि का सीधा प्रभाव बोली की राशि एवं स्क्रैप धातु की पुनः प्राप्ति की सम्भावित मात्रा पर है। तीसरी कॉल की उच्चतम बोली की राशि ₹ 70.11 लाख थी जो प्रथम कॉल की उच्चतम बोली का 12.54 प्रतिशत था। तथापि किराये में सिविल श्रम के माध्यम से धातु स्क्रैप के सचंयन का मामला सितम्बर 2009 में शुरू किया जो कि संचयन अवधि का अन्तिम महीना था। तदर्थ स्टेशन मुख्यालय पोखरण ने किराये के सिविल श्रम के माध्यम से स्क्रैप के सचंयन हेतु अनुशंसा की क्योंकि किराये के सिविल श्रम के माध्यम

[34] कम संख्या की ईकाइयों वाले लघु सैन्य स्टेशन के लिए सम्पूर्ण स्टेशन मुख्यालयों की बजाय तदर्थ स्टेशन मुख्यालयों का प्रावधान सीमित शक्तियाँ एवं विशिष्ट प्रयोजन के साथ कार्य करने हेतु बनाये जाते है।

[35] ₹ 0.10 करोड़ - दूसरी कॉल की ई.एम.डी. + ₹ 0.25 करोड़ तीसरी कॉल की ई.एम.डी.

[36] 16 जनवरी 2008 से 16 जनवरी 2009

[37] 01 नवम्बर 2008 से 30 सितम्बर 2009

से सचंयन की लागत धातु स्क्रैप की लागत की तुलना में कम थी तथापि, मुख्यालय दक्षिणी कमान ने प्रस्ताव को स्वीकृति नही दी।

तदर्थ स्टेशन मुख्यालय पोखरण ने उसी दौरान अगले वर्ष 2009-10 (01 अक्तूबर 2009 से 30 सितम्बर 2010) के लिए एफ.एफ.आर. पर औसत 380 मीट्रिक टन धातु स्क्रैप के सचंयन हेतु जिसकी आर.जी.पी. ₹1.91 करोड़ थी, निविदाएं आमंत्रित की (जुलाई 2009) और ₹2.32 करोड़ के मूल्य का वर्ष 2008-09 में असंग्रहित 285 मीट्रिक टन (लगभग मात्रा) धातु स्क्रैप को सम्भावित 2009-10 संग्रहणीय मात्रा में शामिल नही किया। 380 मीट्रिक टन की आकलित मात्रा हेतु ₹2.52 करोड़ की राशि हेतु मैंसर्स जयश्री ट्रेड़ लिंक जोधपुर के साथ वर्ष 2009-10 की अवधि के लिए (01 अक्तूबर 2009 से 30 सितम्बर 2010 तक) एक संविदा करार किया (सितम्बर 2009)।

हमने नवम्बर 2008 से 30 सितम्बर 2009 की सचंयन अवधि के दौरान नियमित संविदा समय पर नही होने की स्थिति में किराये के सिविल श्रम के माध्यम से धातु स्क्रैप के सचंयन न करने के कारणों के बारे में जानकारी नवम्बर 2013 में माँगी थी। प्रत्युत्तर में, मुख्यालय जोधपुर सब-एरिया ने सूचित किया (अप्रैल 2014) कि मुख्यालय दक्षिणी कमान ने सिविल श्रम के माध्यम से स्क्रैप सचंयन के प्रस्ताव को प्रथमतः इस आधार पर स्वीकृत नही किया कि वार्षिक आकस्मिक अनुदान (ए.सी.जी.) निधियों से किराये पर सिविल श्रम का खर्च नही किया जा सकता तथा द्वितीयः वर्ष 2009-10 के लिए संविदा पहले ही आरम्भ हो चुकी थी। उन्होंने पुनः कहा कि आर.जी.पी के संदर्भ में शेष अनुबंधित अवधि हेतु स्क्रैप की अनुपातिक उपलब्धता कम होने से संग्रहण लागत किफायती नही पाया गया। यह प्रत्युत्तर तदर्थ स्टेशन मुख्यालय पोखरण की इस अनुशंसा से मेल नही खाता कि किराये के सिविल श्रम की लागत धातु स्क्रैप की लागत की तुलना में कम थी और सब एरिया को किराये के सिविल श्रम के माध्यम से धातु स्क्रैप के सचंयन हेतु अपने कार्यवाही शुरू करने के प्रस्ताव के अन्तर्विरोध को दर्शाता है।

इस प्रकार सैन्य अधिकारियों की उचित कार्यवाही के आभाव में नीलामी प्रक्रिया के विफलता के पश्चात, लगभग 285 मीट्रिक टन धातु स्क्रैप का संग्रहण नही हो सका तथा ₹1.92 करोड़[38] की हानि हुई क्योंकि उक्त मात्रा 2008-09 के दौरान न तो संग्रहित हुई और न ही अगले वर्ष 2009-10 की नीलामी प्रक्रिया में उसे सम्मिलित किया गया।

यह मामला जुलाई 2014 में मंत्रालय को भेजा गया उत्तर प्रतीक्षित था अक्तूबर 2014।

3.4 दोषपूर्ण टायरों की अधिप्राप्ति

सेना मुख्यालय ने फरवरी 2008 में ₹ 2.97 करोड़ की लागत से 3717 टायर्स की आपूर्ति के लिए आपूर्ति आदेश दिया। फर्म को सामान की आपूर्ति अगस्त 2008 तक करनी थी। फर्म ने विनिर्माण दोष के साथ घटिया किस्म की सामग्री के टायरों की आपूर्ति की । डिफेक्ट रिपोर्ट को अन्तिम रूप देना लम्बित होने के बाद भी सेना मुख्यालय के क्रय प्राधिकारी ने टायरों की अधिप्राप्ति को निलंबित नहीं किया। फर्म द्वारा दोषपूर्ण टायरों की निरंतर आपूर्ति के कारण ₹ 2.65 करोड़ का भुगतान किया गया।

रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल 2005 के अनुसार एक संविदा को समाप्त किया जा सकता है यदि आपूर्तिकर्त्ता संविदा किये गये समान को समय पर आपूर्ति करने में असफल रहता है या आपूर्तिकर्त्ता द्वारा पेश किए गए आइटम जब निरीक्षण में विफल हो जाते हैं और आपूर्तिकर्त्ता आइटम को गुणवत्ता

[38] वर्ष 2008-09 की आर जी पी ₹ 2.32 करोड़ माईनस ₹ 0.40 करोड़ तीनों कालों की जब्त की गई ई एम डी। अर्थात पहली कॉल ₹ 0.50 करोड़ + ₹ 0.10 करोड़ की दूसरी कॉल + ₹ 0.25 करोड़ की तीसरी कॉल

मानकों के अनुरूप पेश करने की स्थिति में नहीं होता है । इसके अलावे मैनुअल, योग्यता के आधार पर आपूर्ति की तारीख बढ़ाने का विकल्प प्रदान करता है।

08/93 के सेना आदेश में यह प्रावधान है कि गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (वाहन) वाहनों के संबंध में ए एच एस पी[39] है और डिफेक्ट की जांच करने, डिफेक्ट रिर्पोट को अतिंम रूप देने, और लंबित डिफेक्ट रिपोर्ट[40] को अतिंम रूप देने के लिए जिम्मेदार है, को डी जी क्यू ए[41] के ध्यान में ऐसे सभी मामले लाने चाहिए जिसमें प्रावधान के निलम्बन वारंट, उपयोगकर्त्ताओ से उपकरण को जारी करना/या वापस लेने से संबंधित हैं। डी जी क्यूए द्वारा डी जी ओ एस[42] को उपयुक्त कार्यवाही की सलाह दी जानी चाहिए। इस संबंध में गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (आयुध) ने सभी गुणवत्ता आश्वासन नियत्रंणालय को निर्देश (मार्च 2007) जारी किए कि तीन महीने की निर्धारित समय सीमा के अंदर डिफेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और बंद करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

हमने पाया (जनवरी 2012) कि सेना मुख्यालय[43] ने फरवरी 2008 में ₹ 2.89 करोड़ की लागत पर 3622 टायर्स[44] की आपूर्ति के लिए एक फर्म[45] को आपूर्ति आदेश दिया था। जून 2008 में, अतिरिक्त मात्रा (95 संख्या में) का आदेश दिया जिससे कुल लागत ₹ 2.97 करोड़ तक बढ़ गई थी। आपूर्ति आदेश में एक शर्त निहित थी कि यदि दोषपूर्ण सामग्री के कारण दोष पाया गया तो फर्म यथानुपात मुआवजा/ प्रतिस्थापन प्रदान करेगा। वास्तविक आपूर्ति अवधि (डी पी) 31 जुलाई 2008 तक थी जो कि 30 अगस्त 2008 तक संशोधित कर दी गई थी। डी पी पुनःतीन बार सितम्बर 2008, जनवरी 2009 और अंततः जून 2009 में 7 सितम्बर 2009 तक बढ़ाया गया था। फर्म ने 3717 टायर्स की सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्ति अक्तूबर 2008 और अगस्त 2009 के मध्य किया और ₹ 2.65[46] करोड़ की राशि का भुगतान फर्म को (दिसम्बर 2009) किया गया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी देखा गया कि सेना मुख्यालय ने दिसम्बर 2006 में समान प्रकार के टायर्स के लिए एक आपूर्ति आदेश इसी फर्म को दिया था जिसमें दोष पाया गया था (सितम्बर 2008)। सी क्यू ए (बी ई एम एल) ने सी क्यू ए (वी)[47] को दोष के एवज में डिफेक्ट रिपोर्ट अग्रेषित (अक्तूबर 2008) किया था और इसकी प्रति अन्य के साथ-साथ सेना मुख्यालय[48] को भी भेजी थी। सी क्यू ए (वी) ने नवम्बर 2008 में उपयोगकर्त्ताओं के परिसर में दोष की सयुंक्त जाँच (जे डी आई) की थी जिसमें टायरों में घटिया सामग्री के कारण विनिर्माण दोष का पता चला। फिर भी, सी क्यू ए (वी) तीन महीने के अन्दर अर्थात,फरवरी 2009 तक डिफेक्ट रिपोर्ट को अतिंम रूप नहीं दे सका और न ही ए ओ 8/93 के तहत लंबित डिफेक्ट रिपोर्ट को अतिंम रूप देने तक, फरवरी 2008/ जून2008 में दिए गए आपूर्ति आदेश के अन्तर्गत फर्म से टायर्स की खरीद को स्थागित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही कर सका। फर्म द्वारा आपूर्ति की गई टायर्स में दोषों की जांच करने के लिए मई

---

[39] ॲथारिटी होल्ड़िग शील्ड पार्टिकुलर

[40] डिफेक्ट रिपोर्ट शुरू किया जाता है (i) दोष के सही कारण को पता करने (ii) दोष दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय बताने (iii) भविष्य आपूर्ति में दोषों को सुधारने और यदि वांरटी कवर है तो मुफ्त में प्रतिस्थापन प्रदान करने के लिए आपूर्तिकर्त्ता से मिलना।

[41] महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन

[42] महानिदेशक आयुध भंडार

[43] रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय,मास्टर जनरल आयुध शाखा

[44] भाग संख्या LV 6/एम टी 142610-000212 टायर PNEU 11,00x 20 प्लाई 16,एस टी नॉयलोन (TLR 50 टन 12 WHLD) टैंक ट्रांसपोर्टर पूर्व-बी ई एम एल एण्ड पूर्व एम ओ एल सामने और रियर व्हील दोनों के लिए

[45] मेसर्स पोलिमर,जालंधर

[46] ₹ 31,99,521/- की राशि शामिल नहीं है रोक ली गई है

[47] गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय (वाहन) अहमदनगर

[48] महानिदेशालय विद्युत एवं मकेनिक्ल इन्जीनीरिगं (वाहन) , एम जी ओ रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत, मास्टर जनरल आयुध शाखा

2009 में पुनः जे डी आई की गई। रिपोर्ट में फिर से टायर्स की विनिर्माण प्रक्रिया की समस्याओं और घटिया सामग्री की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला गया। सी क्यू ए (वी) ने दिसम्बर 2009 में अर्थात फरवरी 2008 आपूर्ति आदेश के अन्तर्गत सम्पूर्ण मात्रा की प्राप्ति के बाद, केन्द्रीय आयुध डिपों (सी ओ डी) को सूचित किया कि टायर्स को उपयोगकर्त्ता इकाईयों को जारी न किया जाये और टायर्स को वापस ले लिया जाए। जवाब में, सी ओ डी ने निर्देश (जनवरी 2010) जारी कर दिए कि उपयोगकर्त्ता इकाईयों को आगे ये टायर्स जारी नहीं किए जाएँ लेकिन दोषपूर्ण टायर जो कि पहले से ही जारी किए जा चुके थे उनको वापस नहीं लिया जाए। सी ओ डी के पास जनवरी 2010 तक 312 टायर्स स्टॉक में थे।

हालांकि, डी जी क्यू ए ने सेना मुख्यालय को अवगत (फरवरी 2010) कराया था कि फर्म 3883 टायर्स[49] (दोनों आपूर्ति आदेश) की पूरी मात्रा को उन्नत किस्म के नये टायर्स, से बदलने के लिए सहमत हैं। सी क्यू ए (वी) ने फिर से सी ओ डी को उपयोगकर्त्ता इकाईयों को टायर्स जारी न करने की सलाह दी (अप्रैल 2011) क्योकिं फर्म द्वारा उन्नत किस्म के टायर्स की आपूर्ति की जानी थी। उसके बाद, डी जी क्यू ए ने सी ओ डी और ए डी जी ओ एस [50] को (अप्रैल 2012) सूचित किया कि दोषपूर्ण टायरों को इकाइयों को जारी न किया जाये। सी ओ डी ने डी जी ओ एस को (दिसम्बर 2012) को सूचित किया कि बार-बार अनुस्मारक जारी करने के बावजूद फर्म ने निरीक्षण के लिए टायर्स विकसित नही किए और अधिकतम अवशिष्ट लाभ लेने के लिए टायर्स के रखे हुए स्टाक में से उपयोगकर्त्ता इकाइयों को टायर्स जारी करने का मामला डी जी क्यू ए के साथ उठाने का अनुरोध किया। वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी (एस क्यू ए ओ) (निरीक्षण अधिकारी[51]) प्रत्येक लॉट में टायर्स के नमूने का प्रांरभिक निरीक्षण के लिए जिम्मेदार था। एस क्यू ए ओ ने फरवरी 2008 के आपूर्ति आदेश के लिए सितम्बर 2008 और जून 2009 के मध्य टायर्स का निरीक्षण किया और टायर्स में किसी भी दोष का पता लगाने में विफल रहा। हालांकि फरवरी 2008 के आपूर्ति आदेश के एवज में आपूर्ति किए गए टायर्स में दोष उपयोगकर्त्ताओ द्वारा भी सितम्बर 2010 में सूचित किया गया था जो टायर्स के विनिर्माण में घटिया किस्म की सामग्री के प्रयोग के तथ्य की पुष्टि करता था। हमने सी क्यू ए (वी) से पूछताछ की (मई 2013) कि कैसे निरीक्षण अधिकारी परीक्षण के दौरान दोषों का पता नहीं लगा सका। सी क्यू ए (वी) (जून 2013) ने उत्तर दिया कि यह खराब लॉट के टायर्स में से अच्छे नमूने का चयन हो जाने के कारण हो सकता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं था कि टायरों की आपूर्ति के प्रत्येक लॉट में से केवल अच्छे नमूने का ही चयन किया गया था। इस प्रकार निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया गया प्रारभिंक परीक्षा न ही पूर्ण प्रमाणित था और न ही पूरा था जिसमें परिणामस्वरूप फर्म द्वारा दोषपूर्ण टायरों की आपूर्ति हुई।

सेना मुख्यालय ने सी ओ डी को निर्देश (फरवरी 2013) दिए कि डी जी क्यू ए की मंजूरी लंबित होने के कारण इन टायर्स का उपयोग नही किया जाना चाहिए। लेकिन सी ओ डी ने सी क्यू ए (वी) से यह पुष्टि करने के लिए अनुरोध किया (अगस्त 2013) कि क्या इन टायर्स को गैर क्षेत्र बलों वाली इकाइयों जो कि ज्यादा ऊँचाई, पहाड़ी इलाके वाले क्षेत्र में स्थित नहीं हैं को इस निर्देश के साथ जारी नही किया जा सकता कि समय से पूर्व ही विफल हुए टायरों के संबंध में दोष रिपोर्ट जारी न की जाए। सी क्यू ए (वी) ने सी ओ डी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि उपयोगकर्त्ता इकाई को उच्च गति ड्राइविंग से बचना चाहिए जिससे दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके। हालांकि मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान सी ओ डी के इस विचार से सहमत नहीं था क्योंकि ये टायर्स क्षेत्रिय बल इकाईयां के टैंक परिवहन वाले 50 टन वाले ट्रेलर में उपयोग होते हैं।

---

[49] एस,ओ दिसबंर 2006 के (166 नग) 2014 से अधिक एस ओ फरवरी 2008 की (3717 नग)

[50] ए डी जी ओ एस अतिरिक्त महानिदेशक आयुध भण्डार

[51] वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी वरीय गुणवत्ता अश्वासन स्थापना (वाहन डी जी क्यू ए कम्पलेक्स,नई दिल्ली)

इस प्रकार वरिष्ठ गुणवत्ता आश्वासन अधिकारी के स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन की पूर्ण रूप से कमी, सी क्यू ए (वी) द्वारा तीन महीने के अन्दर डिफेक्ट रिर्पोट को अंतिम रूप देने में असफल रहने के कारण और अक्तूबर 2008 में दोष जान जाने के बावजूद टायरों की अधिप्राप्ति को निलंबित करने में सेना मुख्यालय की निष्क्रियता, फर्म को दोषपूर्ण टायरों कि आपूर्ति जारी रखने में मदद मिली जिसके कारण फर्म को ₹ 2.65 करोड़ का भुगतान किया गया । इसके अतिरिक्त फर्म से मुआवजा चार्ज करने/ दोषपूर्ण टायरों के बदलने की शर्त की उपलब्धता के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया था और प्रतिबंध के साथ दोषपूर्ण टायरों का उपयोग करने का सेना का यह निर्णय अपने स्वंय के कामकाज और मानव सुरक्षा से समझौता था।

जून 2014 में मंत्रालय को मामला भेजा गया था उनका जवाब प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2014)।

3.5 केन्द्रीय आयुध डिपो आगरा द्वारा बैटरियों का अधिक प्रावधान कर अमितव्ययी रूप से जारी करना।

प्रावधान में गलती के कारण केन्द्रीय आयुध डिपो, आगरा ने ₹ 7.16 करोड़ की लागत पर 14,919 बैटरी का अधिक प्रावधान किया और बाद में विशाल भण्डार को परिसमाप्त करने के लिए 9,258 बैटरी जारी कर दीं, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ की हानि हुई।

महानिदेशक आयुध भण्डार (डी.जी.ओ.एस.) के तकनीकी अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय आयुध डिपो (सी.ओ.डी.) श्रेणी 'बी'[52] भण्डार का प्रावधान करने हेतु उत्तरदायी है। सी.ओ.डी. आगरा ने मार्च 2007 में ₹ 14.15 करोड़ की लागत पर 29,485 बैटरी 'ए'[53] के लिए मैसर्स भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटड (बी.ई.एल.) पुणे को आपूर्ति आदेश दिया। ये बैटरियाँ मुख्य उपकरण रेडियों स्टेशनों पर प्रयोग की जाती है और न्यूनतम 400 चक्रीय जीवन चक्र के साथ इनकी न्यूनतम शेल्फ लाईफ चार वर्ष की होती है। बैटरी जीवन चक्र की निर्दिष्ट/गारंटीकृत संख्या प्रदान करें इसको सुनिश्चित करने के लिए, नियंत्रण के नमूने जीवन चक्र परीक्षण के लिए बाध्य है।

हमने सितम्बर 2011 में देखा कि वर्ष 2006-07 के लिए सी.ओ.डी. द्वारा वार्षिक प्रावधान समीक्षा (ए.पी.आर.) के आधार पर प्रावधान किया गया था। जनवरी 2006 की प्रावधान समीक्षा के डयूज आऊट[54] में दो क्षेत्रीय आयुध डिपो (एफ.ओ.डी.) द्वारा की गई 19,743 बैटरी की माँग शामिल थी, जबकि सी ओ डी, आगरा में इसकी वास्तविक माँग केवल 7400 बैटरी की थी (मार्च 2005 और जुलाई 2005 में क्रमशः 3784 और 3616 बैटरी की माँग की गई) । इस गलती के कारण ₹ 5.92 करोड़ (12,343 x ₹ 4800) मूल्य की 12,343 बैटरी 'ए' [55] का अधिक प्रावधान हुआ। आदेशित 29,485 बैटरी सी ओ डी में मई 2007 एवं फरवरी 2008 के बीच प्राप्त हुई।

हमने अगले वर्ष 2008-09 के ए.पी.आर. में पाया कि अप्रैल 2008 को सी.ओ.डी. में वास्तव में भंडारण की गयी 23,084 बैटरी के स्थान पर भंडारण की गयी बैटरी 'ए' की मात्रा 3990 दर्शाई गई थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ए.पी.आर. में 14,919 बैटरी 'ए' की कमी हुई जिसकी अधिप्राप्ति

[52] मुख्य उपकरण के लिए सभी कलपुर्जे एवं सहायक उपकरण

[53] आबंटन (एसाइनमेंट) सूची दिनांक 24 जुलाई 2006 के माध्यम से बैटरी सेक्न्डरी पोर्टेबल निकेल कैडमियम (सील्ड सिलेड्रिकल) 12 बोल्ट 4 एम्पेयर घंटा कैट संख्या जैड 9/6140-विविध -7820-575-072-16 का डी एस कैट संख्या जैड 9/6140-005171 से अधिक्रमण हो गया था।

[54] स्टॉक लेने की तिथि के अनुसार अन्य सेवाओं, असैनिक प्रयोक्ताओं/भुगतान करने वाले ग्राहकों से संबंधित डयूज आउट सहित सभी डयूज आउट का देयता में सम्मिलित किया जाएगा ।

[55] 19,743-7,400 (वास्तविक माँग में त्रुटि) = 12,343 ।

के लिए प्रस्ताव किया गया। सी.ओ.डी. आगरा ने ₹ 7.16 करोड़ की लागत पर 14,919 बैटरी 'ए' के लिए अक्तूबर 2009 में मैसर्स भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को आपूर्ति आदेश दिया जिसकी सी.ओ.डी. में प्राप्ति फरवरी 2010 और जुलाई 2010 के बीच हुई। इन मदों का प्रावधान करने की वास्तव में आवश्यकता थी ही नही क्योंकि सी.ओ.डी. में पहले से ही 23,084 बैटरी का भंडार था। इस प्रकार, ₹ 7.16 करोड़ लागत की 14,919 बैटरी 'ए' का अधिक प्रावधान हुआ।

हमने नवम्बर 2012 में बैटरियों के अधिक प्रावधान में हुई विसंगतियों के बारे में बताया था। भण्डार को समाप्त करने के लिए सी.ओ.डी. आगरा ने 11 जनवरी 2013 एवं 06 जून 2013 के बीच 16,759 बैटरी 'ए' जारी की जिनमें से 9,537 बैटरी का चार वर्षों का न्यूनतम शेल्फ लाईफ समाप्त हो गया था। हमने यह भी पाया कि 16,759 बैटरी में से 9,258 बैटरी 'ए'[56], बैटरी 'बी'[57] और बैटरी 'सी'[58] की माँग के बदले में जारी की गईं। बैटरी 'बी' और 'सी' की अधिप्राप्ति लागत क्रमशः ₹ 3360 एवं ₹ 105 प्रति बैटरी थी जबकि बैटरी 'ए' की लागत ₹ 4,800 थी। इस प्रकार कम लागत वाली बैटरी 'बी' और 'सी' के बदले में अधिक लागत वाली बैटरी 'ए' को जारी किया जाना अमितव्ययी था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

अधिक प्रावधान पर लेखापरीक्षा के प्रश्न (सितम्बर 2011) के उत्तर में, सी.ओ.डी. ने कहा (अप्रैल 2012) कि बैटरियों की मूल भाग संख्या के अधिक्रमण के कारण तथा इस तथ्य कि 2008 में स्वचलीकरण के पहले के डयूज आऊट को लिपकीय त्रुटि के कारण नही लिया जा सका था, यह विसंगति हुई थी। हालांकि यह उत्तर तथ्यात्मक रूप से ठीक नही था क्योंकि मूल भाग संख्या का अधिक्रमण जुलाई 2006 में हुआ था और 2008 में किए गए प्रावधान में किसी भी विसंगति को इसपर आरोपित नही किया जा सकता था।

बैटरी 'बी' और 'सी' के बदले में अमितव्ययी रूप से बैटरी 'ए' को जारी करने पर सी.ओ.डी. ने कहा कि भण्डारण में शेल्फ लाईफ के समाप्त होने से पहले बढाए हुए समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु बैटरी 'ए' जारी की गई थी और यह भी कहा कि इससे सरकार को संभावित हानि की जगह बचत हुई थी। इसके अलावा यह कहा गया था कि रिचार्जएबल बैटरियां, नॉन-रिचार्जएबल बैटरियों की तुलना में अधिक चलती हैं। हालांकि बदले में जारी करने के लिए दिया गया औचित्य बैटरी 'ए' के अधिक प्रावधान संबंधी लेखापरीक्षा के तर्क के प्रति प्रसांगिक नही था। यह लेखापरीक्षा द्वारा बताएं जाने (नवम्बर 2012) के बाद ही सी.ओ.डी. ने शैल्फ लाईफ समाप्त बैटरी 'ए' के भण्डार को समाप्त करने के लिए जनवरी 2013 में एक अभियान शुरू किया। इसके अतिरिक्त, सी ओ डी द्वारा अपने उत्तर में बैटरी 'ए' जारी किए जाने के बदले में जिस लाभ का दावा किया गया है, वह इस तथ्य से खंडित होता है कि जनवरी 2013 से जून 2013 के दौरान जारी की गई 9,537 बैटरी 'ए' का चार वर्षो का न्यूनतम शैल्फ लाईफ पहले ही समाप्त हो चुका था।

इस प्रकार, डयूज आऊट एवं स्टॉक होल्डिंग से संबंधित आंकड़ो की शुद्वता को सत्यापित करने में सी.ओ.डी. की विफलता के कारण ₹ 7.16 करोड़ मूल्य की 14,919 बैटरी 'ए' का अधिक प्रावधान हुआ। इसके परिणामस्वरूप अंततः न्यूनतम शैल्फ लाईफ की समाप्ति के बाद निम्न लागत की बैटरियों की माँग के प्रति 9,258 बैटरी 'ए' जारी करने के कारण ₹ 1.91 करोड़ की हानि हुई।

यह मामला मंत्रालय को जून 2014 में भेजा गया,उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2014) ।

---

[56] बैटरी 'बी' की संख्या 7492 और बैटरी 'सी' की संख्या1766 ।

[57] बैटरी 'बी': नॉन-चार्जएबल 12 वी,15 ए एच-कैट पार्ट संख्या वाई 3/6135-001362 ।

[58] बैटरी 'सी': 3.6 वी, 1.6 ए एच कैट पार्ट संख्या वाई 3 6135-001363 ।

3.6 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां, बचतें और लेखाओं में समायोजन

हमारी टिप्पणियों के आधार पर लेखापरीक्षित इकाइयों ने अधिक भुगतान किए गए वेतन एवं भत्तों,विविध शुल्कों एवं विद्युत प्रभारों की वसूली की, अनियमित कार्य संस्वीकृतियों को निरस्त किया एवं वार्षिक लेखाओं का संशोधन किया, जिसका कुल प्रभाव ₹ 68.01 करोड़ था।

लेखापरीक्षा के दौरान हमने अनियमित भुगतान,शुल्कों की गैर-वसूली,अनियमित संस्वीकृतियों के जारीकरण और लेखांकन त्रुटियों के अनेक उदाहरण देखे। लेखापरीक्षा टिप्पणी पर कार्रवाई करते हुए लेखापरीक्षित इकाइयों ने सुधारात्मक कार्रवाई की, जिसका कुल प्रभाव नीचे संक्षेप में दिया गया है:-

वसूलियां

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन,रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रकों, सैन्य अभियंता सेवाएं (एम ई एस), कैन्टीन भण्डार विभाग (सी एस डी) मुख्यालय आदि के दस्तावेजों की जांच से कुल ₹ 3.98 करोड़ के वेतन एवं भत्तों, विद्युत प्रभारों का अधिक भुगतान, किराया एवं विविध शुल्कों की अनियमित अदायगी आदि उदाहरणों का पता चला। अंकित करने पर इकाईयों ने अधिक भुगतान की वसूली की।

बचतें

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, दक्षिण कमान,थलसेना का क्षेत्र/ उप-क्षेत्र मुख्यालय,स्टेशन मुख्यालय,कोर मुख्यालय आदि जैसे संस्वीकृति करने वाले विभिन्न प्राधिकारियों ने निर्माण कार्यों हेतु दिए गए प्रशासनिक अनुमोदनों/अनुमत अवकाश नकदीकरण को निरस्त किया। इन कार्रवाइयों का कुल परिणाम ₹ 4.84 करोड़ की बचत था।

वार्षिक लेखाओं का संशोधन

जब हमने ब्याज प्राप्ति को सरकारी राजस्व के रूप में न मानना, बकाया लेनदारों हेतु न्यून प्रावधान, भाड़ा प्रभारों का न्यून प्रावधान, मूल्य वर्धित कर एवं राज्य विक्रय कर के प्रति देयता का लेखांकन न करना, सैटऑफ राशि में कटौती आदि जैसे अनियमित लेखांकन के उदाहरणों को इंगित किया, तब सी एस डी ने वार्षिक लेखाओं में सुधार किया। इन सुधारों के अभाव में लाभाधिक्य तथा विविध देनदारों का अल्पांकन हो गया होता। इन सुधारों का शुद्ध प्रभाव ₹ 59.19 करोड़ था।